राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांकः एफ.10(क)( )गठन/श्रेणी/डीएलबी./16/ दिनांक 11/11/16

अधिसूचना

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 (अधिनियम संख्या 18 वर्ष, 2009) की धारा 3 सहपठित धारा 329 एवं अधिसूचना सं.पं.8(ग)( )नियम/श्रेणी/एलएसजी/12/3825 – 4090 दिनांक 30.04.12 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार जिला कलेक्टर के प्रस्तावानुसार राज0 हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद के 6 वार्डो के सीमा क्षेत्रों को एतदद्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका नसीराबाद घोंषित करती है।

उक्त राज0 हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद के 6 वार्डो की विधमान सीमाए ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाए रहेगी :–

1. पूर्व दिशाः– सेक्टर 1 व सेक्टर 2 का पूरा भाग।
2. पश्चिम दिशाः– सेक्टर 6 का पूरा भाग तथा नवोदय विद्यालय का भाग।
3. उत्तर दिशाः– सेक्टर 3, 4, 5 का पूरा भाग तथा ग्राम पंचायत नान्दला की सीमा से पूर्व का भाग।
4. दक्षिण दिशाः– केन्टोनमेन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को छोडते हुए राजकीय राज्यमार्ग सं. 102 तक का भाग।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांकः एफ.10(क)गठन/श्रेणी( )डीएलबी./16/892-955 दिनांक 11/11/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

01. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राज.सरकार,जयपुर।
02. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग/पंचायत राज0 जयपुर।
03. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
04. निजी सचिव, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज0 जयपुर।
06. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज0 जयपुर।
07. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत नान्दला ग्राम पंचायत नसीराबाद छावनी क्षेत्र से लगी राज0 हाउसिंग बोर्ड नसीराबाद के 6 वार्डो की सीमा क्षेत्र को पंचायत विभाग से पृथक कराने का श्रम करे।
08. अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि नवनिर्मित नगरपालिका नसीराबाद के संचालन/प्रबन्ध हेतु आवश्यक कार्यवाही करावे।
09. निदेशक, जनगणना विभाग, राज0 जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त, /जिला कलेक्टर समस्त राजस्थान।
11. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाए राज.।
12. महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
14. समस्त अधिकारीगण निदेशालय एवं उप निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय समस्त राज0।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को अधिसूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
16. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय लेखन एवं मुद्राणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज.राजपत्र में शीध्र प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतियॉ उपलब्ध कराये जाने हेतु।
17. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, नसीराबाद ।
18. उपखण्ड अधिकारी/संरपच, नान्दला ग्राम पंचायत नसीराबाद छावनी जिला अजमेर
19. नोडल अधिकारी, बेवसाईट, निदेशालय को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. सुरक्षित पत्रावली।

D:\DLB\Shree mal ji\adhisuchna.doc

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी